

कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

जयंती कुन्ज वन विश्राम गृह के पास, सेन्द्रल स्कूल मार्ग रीवा
Fax-241689, E-mail- ccf.rwa@mp.gov.in, Ph-242098

आदेश

रीवा/दिनांक-06-02-19

कमांक/57 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 621/03/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डल अधिकारी सिंगरौली के पत्र कमांक/ मा0चि0/369 दिनांक 23.01.2019 से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन देवरा ग्राम से मझौली ब्लाक सेक्सन के मध्य रेलवे लाईन के दोहरीकरण में प्रभावित वनभूमि 1.57 हे0 के बदले दुगने बिगडे वन क्षेत्र की तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0	योजना का नाम	परिक्षेत्र	कार्य का प्रकार	कार्य स्थल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे0 में	तकनीकी स्वीकृति की राशि रुपये में
1	देवरा ग्राम से मझौली ब्लाक सेक्सन के मध्य रेलवे लाईन के दोहरीकरण	बरगवां	वैकल्पिक वृक्षारोपण	आर एफ - 241	5.000	4095480.00

शर्तें-

2- मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक भू-सर्वेक्षण/बजट/दस/1415 दिनांक 24.02.2004 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के पालन में कम से कम जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत होना अनिवार्य रहेगा। इसी तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं:-

1- सभी वैकल्पिक वृक्षारोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

2- वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना गम्भीरता से बनाई जाये तथा तकनीकी तथा आर्थिक योजना का अंश इस प्रकार योजनाबद्ध किये जाये कि जीवित पौधों का प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत करने में सहायक सिद्ध हो। जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई माह में कराई जावे।

3- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पौधों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में उन वृक्षारोपणों को वैकल्पिक वृक्षारोपणों की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा तथा असफलता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4- कार्य का कियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कार्य कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।

5- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मजदूरी की दर में वृद्धि कर प्रावधान किया गया है फिर भी यदि मजदूरी के दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है तो अंतर की राशि संबंधित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।

(अतुल खेरा)

भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक

रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पू0कमांक/मा0चि0/ 1163

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली की ओर उनके पत्र कमांक/मा.चि./369 दिनांक 23.01.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

रीवा, दिनांक 06-02-19



मुख्य वन संरक्षक

रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)



कटनी-- सिंगरौली रेलवे लाइन (देवरा ग्राम से मझौली ब्लॉक सेक्शन लाइन) दोहरीकरण में
प्रभावित कक्ष क्रमांक आर. 244 की वन भूमि रकवा 1.57 हे० के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
अंतर्गत

कार्य का नाम	—	वैकल्पिक वृक्षारोपण
कक्ष क्रमांक	—	R 241
क्षेत्रफल	—	5 हे०
स्थल	—	उज्जैनी
योजना अवधि	—	2019-20 से 2025-26 तक
संभावित व्यय	—	4095480 रुपये

वन परिक्षेत्र बरगवाँ

उप वनमण्डल गोरबी

वनमण्डल सिंगरौली (सा०)

वन वृत्त रीवा मध्यप्रदेश

कटनी- सिंगरौली रेलवे लाइन (देवरा ग्राम से मझौली ब्लॉक सेक्शन लाइन) दोहरीकरण में प्रस्तावित कक्ष क्रमांक आर. 244 की वन भूमि रकबा 1.57 हे० के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण अंतर्गत

भाग - 1 सामान्य विवरण

1 योजना का विवरण	मिश्रित वृक्षारोपण
(i) जिला	- सिंगरौली
(ii) वन मण्डल	- सिंगरौली
(iii) वन परिक्षेत्र	- बरगवाँ
(iv) तहसील	- देवसर
(v) विकासखण्ड	- देवसर
(vi) विधानसभा क्षेत्र	- देवसर
(vii) क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	- बरगवाँ
(viii) क्षेत्रीय परिषद	- उज्जैनी
2 स्थल विशेष की जानकारी	
(i) ग्राम वन समिति	- उज्जैनी
(ii) वनखण्ड	- सजहर
(iii) कक्ष क्रमांक	- R 241
(iv) कक्ष का कुल क्षेत्रफल	- 300.46 हे०
(v) कूप क्रमांक	-
(vi) प्रस्तावित क्षेत्र	- 5 हे०
(vii) कार्यवृत्त	- आर.डी.एफ.
(viii) प्रबंध श्रेणी	- उज्जैनी
3 समिति का विवरण	
(i) समिति का नाम	- उज्जैनी
(ii) गठित समिति का प्रकार	- ग्राम वन समिति
(iii) समिति का मुख्यालय	- उज्जैनी
(iv) समिति के अध्यक्ष का नाम	- श्री अशोक जायसवाल
(v) परिषद रक्षक का नाम	- श्री पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
(vi) परिक्षेत्र सहायक का नाम	- श्री राम निरंजन तिवारी
4 उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति	
(i) ढलान	- उत्तर
(ii) मिट्टी का प्रकार	- बलुई दोमट
(iii) औसत वार्षिक वर्षा	- 1140 मि.मी.
(iv) नरम मिट्टी का क्षेत्र	- 0 हे०
(v) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	- 5 हे०

गोशवारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
05 हे0 असंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	प्रस्तावित राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल प्रस्तावित राशि
प्रथम	3867	1198866	1.00	1198866
द्वितीय	1501	465217	1.06	493130
तृतीय	1170	362762	1.1236	407599
चतुर्थ	1141	353772	1.191	421342
पंचम	823	255037	1.2625	321984
षष्ठम	693	214737	1.3382	287361
सप्तम	643	199237	1.4185	282618
कुल योग	9838	3049628		3412900

प्रस्ताव भारत सरकार से प्राप्त होने की स्थिति में प्र0मु0व0सं0(कक्ष भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-11/2018/10-11/3525 दिनांक 13.11.2018 के निर्धारण अनुसार प्रस्तावित कुल राशि पर निम्नानुसार मदों हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है :-

आस्थामूलक राशि (5 प्रतिशत)	170645	
मानव संसाधन विकास की राशि (1 प्रतिशत)	34129	
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की राशि (4 प्रतिशत)	136516	
पर्यवेक्षण की राशि (10 प्रतिशत)	341290	
कुल योग -	4095480	


उप वन मण्डल अधिकारी
उप वन मण्डल गोरबी


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र बरगवा (मा.)

प्रोजेक्ट तकनीकी स्वीकृति आदेश
क्रमांक २३७- दिनांक ०६-२-२०१९

इकाई कारी की रशि व
प्रस्तावित राशि रु० ५०,९५,५८०/- अनुमोदित


मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)